न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या/03/2025

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.........प्रार्थी0

बनाम

1– दुलीचन्द पुत्र श्यामो जाति कोली निवासी टोहिला हाल आबाद नदबई–(मृतक)
1/1 भगवती पत्नि स्व दुलीचन्द –(मृतक)
1/2 सुखदेव पुत्र स्व0 दुलीचन्द जाति कोली निवासी टोहिला हाल आबाद नदबई
1/3 घनश्याम पुत्र स्व0 दुलीचन्द जाति कोली निवासी टोहिला हाल आबाद नदबई
1/4 कमलेश पत्नि हरीबाबू पुत्री स्व0 दुलीचन्द जाति कोली निवासी 18/210 नाला मण्टोला शाहगंज आगरा उत्तरप्रदेश
2– यादराम पुत्र श्यामो जाति कोली निवासी टोहिला हाला आबाद नदबई
3– शिवनारायण पुत्र श्यामो जाति कोली निवासी टोहिला हाला आबाद नदबई
4– लीलावती पुत्री विश्राम जाति कोली निवासी टोहिला हाला आबाद नदबई
5– सुक्को पत्नि पपईया पुत्री विश्राम जाति कोली–(मृतक)
5/1 पपईया पति स्व0 सुक्को –(मृतक)
5/2 यादराम पुत्र स्व0 सुक्को जाति कोली निवासी ग्राम जरीला तहसील रूपवास
5/3 भीमा पुत्र स्व0 सुक्को जाति कोली निवासी ग्राम जरीला तहसील रूपवास
5/4 पप्पूराम पुंत्र स्व0 सुक्को जाति कोली निवासी ग्राम जरीला तहसील रूपवास
5/5 कुंजीलाल पुत्र स्व0 सुक्को जाति कोली निवासी ग्राम जरीला तहसील रूपवास

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू –आंबटन नियम 1970),

————————

उपस्थित :–

पैरोकार सरकार, प्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 19.9.2025**

प्रार्थी तहसीलदार नदबई ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयाजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरुद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है जमांबदी संवत् 2073–76 ग्रांम अटारी तहसील के खाता संख्या 385 में आराजी खसरा नम्बर 772 रकवा 0.10 है0, 780 रकबा 0.12 है0 किस्म भूमि चाही सोयम पर दुलीचन्द,यादराम,शिवनारायण पि. श्यामो, लीलावती,

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

शुक्की पुत्री विश्राम जाति कोली निवासी टोहिला हाल आवाद नदबई गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सम्वत् 2060 मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नं. 1287मि0 रकवा 9 विस्वा, के नये खसरा नम्बर 780 रकवा 0.12 खसरा नम्बर 1203 मि. रकवा 8 विस्वा का हाल खसरा नम्बर 772/0.10 बना है। मिसल सम्वत 2028 के अनुसार उक्त आवंटित आराजी भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। आवंटी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की है। विवादित आरजी चारागाह है जो प्रतिवंधित श्रेणी में आती है जिसका आवंटन नहीं हो सकता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 निरस्त किया जाकर आराजी को किस्म चारागाह घोषित करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण व्यक्तिशः उपस्थित आये। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब हेतु कई मौके दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी0 की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया इस पर अप्रार्थी0 जबाब बन्द कर पत्रावली बहस में नियत की गई। वक्त बहस नियत तरीख को अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पेरोकार ने प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आवंटी विश्राम पुत्र सुखी कौम कोली निवासी अटारी एवं उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं की गई है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पैरोकार सरकार का यह भी कहना है कि वक्त आवंटन विवादित आराजी की किस्म चारागाह थी और ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं जिनका आवंटन नहीं किया जा सकता है। पैरोकार सरकार ने अन्त में प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये हैं, परन्तु उन्होनें कोई जबाब पेश नहीं करना और वक्त बहस उपस्थित नहीं आना अप्रत्यक्ष रुप से यह जाहिर करता है कि अप्रार्थी0 कों तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 14(4) में प्रार्थी ने हाल आराजी खसरा नम्बर 772 रकवा 0.10 है0 एवं खसरा नम्बर 780/0.12 है0 की भूमि किस्म पूर्व में राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज होना बताते हुये, विवादित आराजी का किया गया आवंटन दिनांक 29.9.72 को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की गई है। पेरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज वगे. का अध्ययन किया गया। सत्यप्रतिलिपि आंवटन आदेश दिनांक 29.9.72 का अवलोकन किया गया, उक्त आवंटन आदेश में अन्य व्यक्तियों के साथ नम्बर 13 पर दर्ज विश्राम पुत्र सुखी कोम कोली सा. टोहिला को आराजी खसरा नम्बर 1287 मि. रकवा 9 विस्वा, खसरा नम्बर 1203 मि. रकवा 8 विस्वा का आवंटन किया गया है। नामान्तकरण संख्या 11

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

तारीखी 10.9.76 जो कि आवंटन आदेश की पालना में विश्राम पुत्र सुखी कोम कोली के हक में खोला गया है के कॉलम संख्या 5 व 6 में हो रहे अंकन से स्पष्ट है कि आवंटित खसरा नम्बरान के पूर्व खसरा नम्बर 1123 व 1042 थे तथा किस्म भूमि कॉलम में भूमि किस्म चारागाह दर्ज है। यानि वक्त आवंटन विवादित आराजी भूमि की किस्म चारागाह दर्ज थी से राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार आवंटी दर्ज किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सं0 2045 ग्रांम अटारी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1203, 1287 भूमि किस्म चारागाह दर्ज है। आवंटी विश्राम पुत्र सूखी के फोत होने के बाद जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 410 दिनांक 10.12.2001 से विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1203 रकवा 8 विस्वा व 1287 रकवा 9 विस्वा कुल किता 2 रकवा 17 विस्वा पर उसके वारिसान अप्रार्थी0 को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। यह निर्विवाद है कि हाल विवादित आराजी खसरा नम्बर 772/0.1000 एवं खसरा नम्बर 780/0.1200 ग्रांम अटारी तहसील नदबई की भूमि किस्म चारागाह थी। ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। ऐसी भूमियों का किसी प्रकार से आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 प्रचलित कानून के विपरीत होने से क्रम संख्या 13 पर दर्ज आवंटी विश्राम पुत्र सुक्खी जाति कोली को किया गया आवंटन निरस्त योग्य रहता है तथा आवंटी के मृत्यू के पश्चात उसके वारिसान के नाम खोला गया नामान्तकरण संख्या 410 दिनांक 10.12.2001 ग्रांम अटारी शून्य हो जाने से काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 में क्रम संख्या 13 पर दर्ज आवंटी विश्राम पुत्र सुक्खी कोम कोली, निवासी टोहिला का आवंटन निरस्त किया जाता है। स्व0 विश्राम पुत्र सुक्खी जाती कोली के वारिसान अप्रार्थीगण के हक में स्वीकार किया विरासतन नामान्तकरण संख्या 410 दिनांक 10.12.2001 निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण गैर खातेदारी इन्द्राज कलमजन किये जाकर विवादित आराजी पूर्वत चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। निणर्य की प्रति तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर